न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला (बीकानेर)

मु.सं. - दावा / रिमाण्ड / 39/2011

गोमती देवी पत्नी रामनिवास जाति बिश्नोई सा. चक 7 एस.एस.एम., खाजूवाला

बनाम

स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व, खाजूवाला

उपस्थित :--
श्री बद्री प्रसाद सिंवर अभिभाषक अपीलांट प्रतिवादी
तहसीलदार खाजूवाला

--: निर्णय :-- दिनांक - 14/1/19

- यह वाद पत्र न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के यहाँ निर्णित अपील (09 / 2015) विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय हाज़ा दिनांक 26.12.2014 के सापेक्ष निर्णीत की जा रही है ।

- अपीलांट / प्रतिवादी का कथन है कि विवादित भूमि चक 7 एस.एस.एम. के मुरब्बा सं. 67/4 तादादी 11.07 बीघा उसकी खातेदारी क. / अ.क. भूमि पर रेस्पोंडेंट / वादी द्वारा अधीनस्थ हल्का पटवारी की रिपोर्ट बाबत अवैध खनन पर न्यायालय हाज़ा में धारा 175, 177 RTA में दावा पेश किया गया, जिसमें न तो दावे का सत्यापन था व ना ही दावा दो प्रतियों में पेश किया गया था । खातेदारी का समापन भी क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया गया । विवादित भूमि का खनन कब व किसके द्वारा किया गया, समीप के काश्तकारों के बयान भी नहीं लिया जाना, तनकी कायम किये बगैर वाद का निस्तारण किया जाना आदि आदि कथन दोहराये गये । प्रतिवादी द्वारा समीप के पश्चिम दिशा के मुरब्बे में खोदी गयी किला न. 21 की भूमि में खुदे हुए जिप्सम को उसकी भूमि में जिप्सम खोदना बताकर हल्का पटवारी की द्वेषतापूर्वक कार्यवाही करना बताया गया ।

- तहसीलदार खाजूवाला ने बहस में बताया कि वादगत भूमि के किला नम्बर 1 में अवैध खनंन की पुष्टि के उपरांत ही वाद पत्र दाखिल लिया गया था । साक्ष्य व सबूत लिये जाकर, प्रतिवादी को सुनकर न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.12.2014 को यथावत रखे जाने का निवेदन किया ।

- हमने विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी । स्टेट का पक्ष भी जाना । रिकॉर्ड व पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया ।

14/1/19
उपखण्ड अधिकारी
खाजूवाला (जिला-बीकानेर)

- वाद की विषय वस्तु, उपलब्ध अभिलेख व अभिकथनों पर से सम्बन्धित निम्न विवाद्यक विरचित किये जातें हैं –
  - ❖ *आया कि क्या वादगत भूमि पर अवैध खनन हुआ है ? ... जिम्मे वादी*
  - ❖ *आया कि क्या वादगत भूमि पर प्रतिवादी के विरूद्ध वादी द्वारा समुचित वाद दायर किया गया है ? ... जिम्मे प्रतिवादी*
  - ❖ *आया कि क्या वादगत भूमि को वाद के निस्तारण उपरांत कब्जा बहक सरकार लिया गया ? ...जिम्मे वादी*

➢ <u>क्या वादगत भूमि पर अवैध खनन हुआ है</u> ? पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि हल्का पटवारी द्वारा किसी प्रकार की अवैध खनन की रिपोर्ट प्रस्तुत ही नहीं की गयी है । किंतु खनि अभियंता, खान व भू विभाग, बीकानेर , भू वैज्ञानिक , आर.एस.एस.एम. अधिकारी व हल्का पटवारी का बनाया हुआ संयुक्त रिपोर्ट का पंचनामा दिनांक 20.01.2011 में मुरब्बा संख्या 67/4 के किला नम्बर 1 में 20x15x5 मीटर का खनन पिट खोदा हुआ चित्रित किया हुआ बताया है । पंचनामा के नजरी नक्शे में दिशा ही अंकित नहीं है । नक्शे में जिस प्रकार कच्चा रास्ता चकों की ओर जाना बताया गया है जो दंतौर से खाजूवाला जाने वाली डामर सड़क के लगभग 90 डिग्री कोण से पश्चिम से पूर्व की ओर दर्शाया गया है वो विरोधाभासी है क्योंकि मौके अनुसार यह कच्चा रास्ता मुरब्बे से उत्तर की ओर जाता है । उक्त पंचनामा रिपोर्ट केवल फोटो कॉपी है । पंचनामा किस अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत किया गया है , पता नहीं लगता है क्योंकि उक्त रिपोर्ट पर कोई मार्किंग हस्ताक्षरित नहीं है । पटवारी के द्वारा प्रस्तुत नक्शे में मुरब्बा नम्बर 47/53 दिखाया गया है जबकि मुरब्बा नम्बर 67/04 को ओवर राईटंग कर रखा है । नक्शे व जमाबन्दी को पी-35 में कब दर्ज किया, अंकित नहीं है । राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु (लैण्ड रिकॉर्ड्स) रूल्स 1957 के नियम 24 में जाँच व मौका मुआयना के बाद पटवारी को रिपोर्ट ऑफिस कानूनगो के कार्यालय में देनी होती है । पटवारी की जांच रिपोर्ट को साबित करने के लिये उसकी दैनिक डयरी की प्रतिलिपि रिकॉर्ड पर नहीं पेश की गयी है । उक्त फर्द रिपोर्ट पर ना तो प्रतिवादी के हस्ताक्षर है ना ही अन्य गवाहों या मौतबिरानों के हस्ताक्षर लिये गये हैं । अतः वादगत भूमि पर यदि कोई अवैध खनन हुआ है तो इसे सिद्ध करने में वादी असफल रहा है । फलतः इस विवाद्यक को वादी के विरूद्ध तय किया जाता है ।

14/11/19

उपखण्ड अधिकारी
खाजूवाला (जिला-बीकानेर)

➢ <u>क्या वादगत भूमि पर प्रतिवादी के विरूद्ध वादी द्वारा समुचित वाद दायर किया गया है</u> ? पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार राजस्व द्वारा प्रस्तुत उक्त वाद को ढंग से ना ही प्रस्तुत किया गया है व ना ही इसकी प्रभावी पैरवी की गयी है । फौरी तौर पर साईक्लोस्टाइल रूप से तैयार कागजों पर वाद पेश किया है । दावे का सत्यापन नहीं किया हुआ है । सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 1 अनुसार वादपत्र में अंतर्विष्ट की जाने वाली विशिष्टियों का अभाव है । दावे में प्रतिवादी गोमती के पति का नाम रामकुमार लिखा गया है जबकि वास्तविक नाम रामनिवास है । वाद में आदेश 7 नियम 3 अनुसार वादगत स्थावर सम्पत्ति की पहचान कराने के लिये पर्याप्त वर्णन का अभाव है ।

अतः वादी द्वारा प्रतिवादी के विरूद्ध समुचित रूप से वाद नहीं लाया गया है फलतः इस विवाद्यक को विरूद्ध वादी तय किया जाता है ।

➢ <u>क्या वादगत भूमि को वाद के निस्तारण उपरांत कब्जा बहक सरकार लिया गया</u> ? पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाद के निर्णय दिनांक 26.12.2014 के बाद से ऐसा कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है कि जिससे यह सिद्ध होता हो कि वादी ने उक्त वादगत भूमि पर कब्जा बहक सरकार लिया हो अतः यह विवाद्यक प्रतिवादी के पक्ष में व वादी के विरूद्ध तय किया जाता है ।

- प्रतिवादी द्वारा शपथ पत्र मय प्रार्थना पत्र दिया गया है कि वादी ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट को आधार मानकर वाद पेश किया है । खनन विभाग की रिपोर्ट वादगत भूमि से मेल नहीं खाती है अतः यह बोगस वाद पत्र है । वादी द्वारा इसके खण्डन में कोई साक्ष्य या अपना मत प्रस्तुत नहीं किया है ।

- वादी रेस्पोंडेंट स्टेट की ओर से कोई बहस नहीं की गयी है जबकि यही दोहराया है कि अवैध खनन होने पर रकबा राज करना उचित है तथा न्यायालय का निर्णय दिनांक 26.12.2014 यथावत ही रखा जाये ।

- प्रश्नगत भूमि पर अवैध खनन हुआ या नहीं इस बारे में गूगल अर्थ हिस्टोरिकल इमेजिनरी की तकनीक का सहारा भी लिया गया । सेटेलाईट व्यु से वर्षवार इमेजिनरी में उक्त मुरब्बे में कहीं भी अवैध खनन के पिट खुदे हुए दिखाई नहीं देते हैं । अपितु समीप के पश्चिम दिशा के मुरब्बे में किला नम्बर 5 में कुछ खनन पिट दिखाई देतें है ।

14/1/18
उपखण्ड अधिकारी
लाजूवाला (जिला–बीकानेर)

- राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 में अहितकर कार्य या शर्त भंग के लिये बेदखली के प्रावधान है । हस्तगत प्रकरण में इस धारा के सन्दर्भ में राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम , 1955 के नियम 58 व 59 की पालना नहीं की गई है । बेदखली के बजाय भू धारक धारा 179 के तहत हानि या अहितकर कार्य की मरम्मत के लिये क्षतिपूर्ती हेतु वाद प्रस्तुत कर सकता था ।

- उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत किये जाने के पूर्व से लेकर अब तक कोई प्रभावी कार्यवाही असालतन या वकालतन नहीं की है अतः वाद वादी खारीज किया जाता है ।

- तहसीलदार खाजूवाला को आदेश दिये जातें है कि राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी चक 7 एस.एस.एम. में दर्ज अराजीराज रकबा मुरब्बा नम्बर 67/4 के किला नम्बर 1 ता 20 = 11.07 बीघा कमाण्ड / अन कमाण्ड भूमि को जरीये नामांतरकरण गोमती पत्नी रामनिवास जाति बिश्नोई सा. 7 एस.एस.एम. खाजूवाला खातेदार की प्रविष्टी में तब्दील दर्ज किया जाना सुनिश्चित करे । अंकन से पूर्व प्रतिवादी से शपथ पत्र लिया जावे कि यदि आस पास या चक में कँही पर भी अवैध खनन हो रहा हो तो इसकी सूचना हल्का पटवारी या तहसीलदार को उसके द्वारा दी जायेगी ।

- कोर्ट रीडर पर्चा डिक्री तैयार करे ।

- फाईल अभिलेख नस्तीबद्ध होकर रिकॉर्ड रूम में जमा हो ।

निर्णय सुनाया गया ।

14/1/19

(रमेश देव)
उपखण्ड अधिकारी
खाजूवाला